

RNI No. RAJHIN/2007/26996
ISSN 0976-7452 Raaso
Refreed Journal

रासो

अन्तर्विषयी त्रैमासिक शोध पत्रिका

वर्ष-16, अंक-1, दिसम्बर 2022 जनवरी फरवरी 2023





RNI No. RAJHIN/2007/26996
ISSN 0976-7452Raaso
Refreed Journal

रासो

इतिहास, संस्कृति, साहित्य एवं दर्शन की त्रैमासिक शोध पत्रिका

वर्ष-16

अंक - 1

दिसम्बर-2022, जनवरी-फरवरी-2023

सम्पादक

डॉ. दिनेश चन्द्र शर्मा

निदेशक

कॉम्पिटिशन प्लस संस्थान, ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन्स, अजमेर (राजस्थान)

संरक्षक

* प्रो. जे. पी. शर्मा - पूर्व कुलपति, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राजस्थान)

सलाहकार मण्डल

- * प्रो. विभा उपाध्याय - प्रोफेसर, इतिहास एवं भारतीय संस्कृति विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.)
- * नर्मदा प्रसाद उपाध्याय - प्रसिद्ध साहित्यकार तथा संस्कृति चिंतक, इन्दौर (मध्य प्रदेश)
- * प्रो. टी.के. माथुर - पूर्व अध्यक्ष, इतिहास विभाग महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर (राज.)
- * डॉ. रमेश अग्रवाल - पूर्व स्थानीय सम्पादक, दैनिक भास्कर, अजमेर (राजस्थान)
- * डॉ. गौरव बिस्सा - सहआचार्य, विभागाध्यक्ष, प्रबंध अध्ययन विभाग, राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बीकानेर (राज.)
- * डॉ. बीना शर्मा - पूर्व विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग, सावित्री कन्या महाविद्यालय, अजमेर
- * प्रो. शोभा आर. मिश्रा - आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, दर्शनशास्त्र विभाग, माधव महाविद्यालय, उज्जैन
- * डॉ. वेद प्रकाश विद्यार्थी - पूर्व सहायक निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, नई दिल्ली।

☆ उप सम्पादक

डॉ. रीता पारीक

प्राचार्य

हुकुमचन्द नोबल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, अजमेर

☆ प्रबन्ध सम्पादक

डॉ. मृत्युंजय शर्मा

सह-आचार्य

हुकुमचन्द नोबल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, अजमेर

☆ सहायक सम्पादक

डॉ. निष्काम शर्मा

☆ शब्द संयोजन

मुकेश कुमार माहेश्वरी

☆ सम्पादकीय/सचिव

व्यवस्थापकीय कार्यालय

सृजन संस्थान,

आचमन, वेद विहार,

लोहाखान, अजमेर-06

दूरभाष : 0145-2426610

e-mail : rasoajmjournal@gmail.com

☆ प्रकाशक :

पुष्पा शर्मा

सृजन संस्थान,

द्वारा आचमन पब्लिकेशन्स,

अजमेर

☆ मुद्रक :

मैसर्स आर्य प्रिन्टर्स,

केसरगंज, अजमेर

☆ कम्प्यूटराइज्ड सेटिंग :

श्रीनिवास प्रिन्टोग्राफिक्स

132, पंचवटी कॉलोनी,

अजमेर दूरभाष : 0145-2442701

सहयोग दर

* वार्षिक सदस्यता - 500 रु. (चार अंक)

संस्थाओं हेतु - 600 रु. (चार अंक)

कृपया बैंक/ड्राफ्ट/मनीऑर्डर श्रीमती पुष्पा शर्मा, प्रकाशक, आचमन पब्लिकेशन्स,
अजमेर- 305006 के नाम भेजें।

प्रकाशक-श्रीमती पुष्पा शर्मा, 51/1509, वेद विहार, लोहाखान, अजमेर द्वारा मैसर्स सृजन संस्थान, अजमेर
की ओर से प्रकाशित एवं मुद्रक-श्रीमती उषा गर्ग द्वारा मैसर्स आर्य प्रिन्टर्स, केसरगंज, अजमेर से मुद्रित।

भारतीय नवजागरण आन्दोलन में राजा राममोहन राय का योगदान : एक अध्ययन

रत्ना गौड़

सहायक आचार्य (शिक्षा विभाग)

हुकुमचन्द नोबल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, अजमेर

भारतीय नवजागरण की सबसे महत्वपूर्ण देन ‘आधुनिकता’ थी। एक ऐसी वैज्ञानिक तथा तर्काधारित चेतना जिसने भारतीय समाज को नये युग की ओर अग्रसर किया। नवजागरण का आरम्भ सर्वप्रथम बंगाल में हुआ, इसलिए आधुनिक चेतना का प्रारम्भिक उद्भव भी वहीं से स्वाभाविक रूप से दिखाई देता है।

राजा राममोहन राय इस नवजागरण के प्रथम एवं सबसे प्रभावी पुरोधा थे। उन्होंने समझ लिया था कि आधुनिकता के मूल तत्व—विज्ञान, तर्क, उदारता, मानवतावाद—को आत्मसात करने के लिए अंग्रेज़ी भाषा और आधुनिक शिक्षा अनिवार्य है। इसी कारण वे भारतीय समाज में अंग्रेज़ी शिक्षा के समर्थक बने। उनकी यह मान्यता केवल आधुनिक ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि भारत और पश्चिम के बीच बौद्धिक सेतु बनाने के उद्देश्य से भी थी।

यह उल्लेखनीय है कि बंगाल के कुछ प्रबुद्ध संस्कृत पण्डित—विशेषकर वैद्यनाथ मुखर्जी—भी अंग्रेज़ी शिक्षा के प्रति उत्सुक हो रहे थे। मई 1816 में वैद्यनाथ मुखर्जी ने कलकत्ता में अंग्रेज़ी शिक्षा की आवश्यकता पर विचार प्रकट किया। इसका ऐतिहासिक प्रमाण 18 मई 1816 को सर हाइड ईस्ट द्वारा अपने मित्र जे. हेरिंगटन को लिखे पत्र में मिलता है। हाइड ईस्ट—जो उस समय कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश थे—ने वैद्यनाथ मुखर्जी के सुझाव पर 14 मई 1816 को अंग्रेज़ी शिक्षा पर विचारार्थ एक सभा आयोजित की।

भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा का प्रवेश

भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा का प्रवेश मुख्यतः भारतीयों की अपनी आकांक्षा और प्रयासों का परिणाम था। राजा राममोहन राय ने दिसंबर 1813 में लॉर्ड अमहर्स्ट को पत्र लिखकर भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था करने का आग्रह किया। इसके कुछ ही समय बाद 20 जनवरी 1817 को **हिन्दू कॉलेज, कलकत्ता** की स्थापना हुई, जिसने आधुनिक अंग्रेज़ी शिक्षा के प्रचार में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

हालाँकि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को अंग्रेज़ी पढ़ाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्हें भय था कि अंग्रेज़ी शिक्षा मिलने पर भारतीय पारंपरिक सीमाओं से मुक्त होकर स्वतंत्रता की चेतना प्राप्त करेंगे। इसीलिए सरकार प्राच्य विद्या (संस्कृत, अरबी, फ़ारसी) को ही बढ़ावा देना चाहती थी। किन्तु भारतीय समाज—

शोध-पत्र में उल्लिखित सन्दर्भ एवं विचारों के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी है, सम्पादक नहीं।

विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग और कुछ परंपरावादी पंडित भी—यूरोपीय आधुनिक ज्ञान को ग्रहण करने को उत्सुक थे। परिणामस्वरूप मेकाले के 1835 के प्रसिद्ध मिनट से काफी पहले ही भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा के अनुकूल वातावरण भारतीयों ने स्वयं तैयार कर लिया था। इतिहासकार डॉ. आर.सी. मजूमदार स्पष्ट कहते हैं कि यह धारणा गलत है कि अंग्रेज़ों ने भारतीयों को ‘क्लर्क’ तैयार करने के लिए अंग्रेज़ी शिक्षा दी; वास्तविकता यह थी कि भारतीय समाज में आधुनिक बौद्धिक उन्नति की प्रबल इच्छा पहले से मौजूद थी।

अतः अंग्रेज़ी शिक्षा का भारत में प्रसार भारतीय नवजागरण की आंतरिक आवश्यकता, संस्कृति-संवाद की आकांक्षा, और आधुनिक वैज्ञानिक चेतना के उदय का परिणाम था।

पत्रकारिता का प्रारम्भ

भारत में पत्रकारिता की शुरुआत अंग्रेज़ी शिक्षा और मुद्रण-कला के प्रसार से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। ब्रिटिश सरकार मुद्रण और पत्र-पत्रिकाओं के विकास को प्रारम्भ में संदेह की दृष्टि से देखती थी, क्योंकि उसे भय था कि यह राजनीतिक चेतना और आलोचनात्मक विचारधारा के लिए उत्प्रेरक बन सकता है। फिर भी प्रशासनिक आवश्यकताओं और परिस्थितियों के दबाव में उसे प्रेस की स्थापना की अनुमति देनी पड़ी।

भारत का पहला प्रेस सीरमपुर (बंगाल) में बाप्टिस्ट मिशनरियों ने स्थापित किया। यहीं से भारत के पहले पत्रों की परंपरा शुरू हुई। भारत का पहला समाचारपत्र ‘हिकीज बंगाल गजट’ 29 जनवरी 1780 को जेम्स ऑगस्टस हिकी के सम्पादकत्व में कलकत्ता से निकला। इसके बाद क्रमशः— ‘इंडिया गजट’ (नवंबर 1780), ‘कैलकटा गजट’ (फरवरी 1784), ‘बंगाल जर्नल’ (फरवरी 1785), ‘ओरिएंटल मैगजीन’ (1785), ‘कैलकटा एम्पूजमेंट’ (1785, मासिक) के प्रकाशन ने कोलकाता को भारतीय प्रेस आंदोलन का केन्द्र बना दिया।

1791 में विलियम डुफ्रेन ने ‘इंडियन वर्ल्ड’ पत्र निकाला। इसी काल में बंबई और मद्रास में भी पत्रकारिता का प्रसार होने लगा। मद्रास कूरियर (1785), मद्रास गजट (1795), तथा इंडियन हेरल्ड इस क्षेत्र के प्रमुख पत्र थे। ‘इंडियन हेरल्ड’ बिना लाइसेंस के निकलने के कारण ब्रिटिश शासन के कठोर दमन का शिकार हुआ। बंबई से 1789 में ‘बंबई हेरल्ड’ तथा 1790 में ‘बंबई कूरियर’ निकले, और 1791 में ‘बंबई गजट’ का प्रकाशन आरम्भ हुआ। कुछ वर्ष बाद बंबई हेरल्ड और बंबई गजट का विलय हो गया।

1818 में जेम्स सिल्क बकिंघम के सम्पादकत्व में प्रकाशित ‘कैलकत्ता जर्नल’ भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसकी निर्भीक आलोचना से उच्च प्रशासनिक अधिकारी भी अछूते नहीं रहे।

भारतीय पत्रकारिता के आरम्भिक चरण में अनेक यूरोपीय पत्रकारों ने भारत में प्रेस की नींव रखी, परन्तु उन्हें अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के कारण ब्रिटिश सरकार के कठोर दमन का सामना करना पड़ा। यद्यपि ये पत्रकार स्वयं अंग्रेज़ थे, फिर भी सरकार उनके समाचारपत्रों को संभावित विरोध, आलोचना और जनमत निर्माण की दृष्टि से खतरा मानती थी।

प्रसिद्ध पत्रकार हेमेश्वर प्रसाद घोष लिखते हैं कि 18वीं-19वीं शताब्दी के मोड़ पर स्थिति अत्यंत दमनकारी थी—सरकार हमेशा मामूली-से आरोपों पर भी प्रेस के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कदम उठाने को

तत्पर रहती थी। दूसरी ओर अधिकांश पत्रों के संचालक ऐंग्लो-इंडियन थे, जिन पर सदैव यह खतरा बना रहता था कि किसी भी समय उन्हें देश निकाला दिया जा सकता है।

उस समय अंग्रेजी शासन धीरे-धीरे साम्राज्यवादी पद्धति को संगठित कर रहा था। शासन के कठोर तरीके, आर्थिक शोषण और जनता पर नियंत्रण इस नीति के उदाहरण थे। इसलिए सरकार को भय था कि यदि प्रेस को स्वतंत्रता मिली, तो उसके दमनकारी कदम उजागर हो जाएंगे और जनता में असंतोष फैलेगा। इसी कारण ब्रिटिश प्रशासन ने प्रेस को लगातार नियंत्रित करने का प्रयत्न किया, न केवल सेंसरशिप द्वारा, बल्कि तीखी आलोचना करने वाले पत्रकारों को निर्वासित करने, दंडित करने तथा प्रेस बंद कराने जैसे उपायों से।

क्रिश्चियन मिशनरियों द्वारा संचालित पत्रों को उस समय सरकार से पूरा प्रोत्साहन मिलता था, जिसके कारण उनके प्रकाशन और प्रसार में कोई बाधा नहीं आई। शीघ्र ही अनेक ईसाई पत्र हिन्दी केन्द्रों से भी निकलने लगे और प्रमुख व्यक्तियों व संस्थाओं को नियमित रूप से भेजे जाते रहे। इसके विपरीत भारतीय पत्रकारिता का वास्तविक आरम्भ तब हुआ जब भारतीय स्वयं संपादक और संचालक के रूप में आगे आए। इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण नाम राजा राममोहन राय का है, जिन्हें सच्चे अर्थों में देशी पत्रकारिता का जनक माना जाता है। उन्होंने दिसंबर 1821 में बंगला साप्ताहिक ‘संवाद कौमुदी’ निकाला, जिसका उद्देश्य सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं का विरोध और सामाजिक सुधार था। इससे पहले मिशनरियों द्वारा ‘समाचार दर्पण’ और ‘दिग्दर्शन’ जैसे पत्र प्रकाशित हो चुके थे, मगर वे ईसाई धर्मप्रचार पर केंद्रित होने के कारण भारतीय पत्रकारिता की धारा में नहीं गिने जाते।

राजा राममोहन राय ने मिशनरी पत्रों का प्रत्युत्तर देने के लिए ‘ब्रह्मनिकल मैगजिन’ भी प्रारम्भ किया और जनता के सामने ऐसे विचार प्रस्तुत किए जिनसे उनका बौद्धिक विकास हो तथा शासक और प्रजा दोनों एक-दूसरे की स्थितियों और कर्तव्यों को समझ सकें। बाद में कठोर सरकारी नियमों के कारण उन्हें 4 अप्रैल 1823 को अपना पत्र बंद करना पड़ा, क्योंकि भारतीयों के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अत्यंत कठिन और अपमानजनक प्रक्रिया बन गई थी। उन्होंने ‘बंगाल हेरल्ड’ के साथ बंगला, हिन्दी और फ़ारसी में ‘बंगदूत’ भी निकाला, जिसका सम्पादन नीलरतन हालदार करते थे। उनके सुधारवादी विचारों का विरोध करने हेतु पुराणपंथियों ने ‘समाचार चन्द्रिका’ निकाला। बंगीय पत्रकारिता में आगे चलकर ईश्वरचन्द्र गुप्त के संपादकत्व में 1839 में पहला बंगला दैनिक ‘संवाद प्रभाकर’ प्रकाशित हुआ। इसी तरह ‘तत्त्वबोधिनी पत्रिका’ और ‘हिन्दू पैट्रियाट’ ने बंगाल के नवजागरण एवं पत्रकारिता को नई दिशा प्रदान की।

भारतीय पत्रकारिता के उभार के साथ ही ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति और भी कठोर होती गई। लार्ड वेलेजली के समय पहला ऐसा कानून लागू किया गया जिसमें मुद्रकों और संपादकों को अपनी पहचान और निवास-स्थान सार्वजनिक रूप से दर्शाना अनिवार्य किया गया, रविवार को प्रकाशन करने और सरकारी निरीक्षण के बाद ही पत्र छापने जैसी शर्तें भी लगा दी गईं। इन कठोर नियमों के पीछे सरकार का वही उद्देश्य था जिसे मेटकाफ की जीवनी में व्यक्त किया गया है—भारतवासियों को ज्ञान और स्वतंत्र चेतना से दूर रखना तथा किसी भी सुधारवादी या जागरूकता लाने वाले उपकरण, यहाँ तक कि छपाखाने को भी ‘खतरनाक वस्तु’ मानना।

इस दौरान भारत में दो ध्रुव स्पष्ट दिखे—एक पक्ष में भारतीय और अंग्रेज सुधारक थे, जिनमें राजा

राममोहन राय अग्रणी थे, और दूसरी ओर सरकार समर्थक उच्चाधिकारी तथा उनके पक्ष के अंग्रेजी पत्र, जैसे 'जान बुल' और 'एशियाटिक जनरल'। सुधारक पक्ष में 'संवाद कौमुदी', 'कलकत्ता जनरल' और 'मिरात-उल-अखबार' जैसे पत्र थे, जबकि कट्टरपंथियों ने 'समाचार चन्द्रिका' निकाला ताकि सुधारवादी धारा का विरोध किया जा सके।

हेस्टिंग्स के काल में पत्रकारों को कुछ राहत मिली, परंतु उसके बाद आए जॉन एडम ने प्रेस-स्वातंत्र्य का पूरी तरह विरोध किया। 1823 में अत्यंत कठोर प्रेस-कानून जारी हुआ, जिसके अनुसार सरकारी लाइसेंस के बिना किसी भी प्रकार का पत्र, पुस्तिका या प्रकाशन प्रकाशित नहीं किया जा सकता था। प्रकाशक का विस्तृत विवरण, पता, प्रिंटिंग-हाउस का पूरा ब्यौरा देना आवश्यक कर दिया गया था, और बिना लाइसेंस पत्र प्रकाशित करने पर भारी जुर्माना या कारावास का प्रावधान रखा गया। राजा राममोहन राय ने इन कानूनों के खिलाफ याचिका दायर की, पर असफल रहे, और अंत में उन्हें 1829 में 'मिरात-उल-अखबार' बंद करना पड़ा।

अमहर्स्ट के समय (1825) एक और कानून बना, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के किसी भी पत्र से जुड़े रहने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बाद में लार्ड विलियम बेंटिक ने प्रारंभ में उदारता दिखाई, लेकिन जब पत्रों की स्वतंत्र टीका-टिप्पणियों से वे भी विचलित हुए तो उन्होंने भी धीरे-धीरे वही दमनकारी नीति अपना ली, जिससे भारतीय पत्रकारिता का विकास निरंतर अवरोधों और सरकारी नियंत्रण के बीच संघर्षरत रहा।

हिन्दी का पहला पत्र - विभिन्न धाराणाएँ

लम्बे समय तक यह गलत धारणा बनी रही कि हिन्दी का पहला पत्र 'बनारस अखबार' था, जो राजा शिवप्रसाद की सहायता से 1845 में प्रारम्भ हुआ माना जाता था। लेकिन 1931 में बंगाल के विद्वान ब्रजेन्द्रनाथ बंद्योपाध्याय ने प्राचीन पत्रों की खोज करते हुए यह सिद्ध कर दिया कि इससे पहले भी हिन्दी में समाचारपत्र निकल चुके थे। उन्होंने 'विशाल भारत' में लेख लिखकर यह बताया कि हिन्दी का वास्तविक प्रथम पत्र 'उदन्तमार्तण्ड' था। उनके शोध से हिन्दी पत्रकारिता के इतिहास का एक नया अध्याय सामने आया और आरम्भिक पत्रों जैसे 'बंगदूत', 'प्रजामित्र', 'साम्यदण्ड मार्तण्ड' और 'बनारस अखबार' के बारे में भी प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध हुई।

उदन्तमार्तण्ड :- हिन्दी पत्रकारिता का इतिहास वास्तव में 'उदन्तमार्तण्ड' से शुरू होता है। 1823 में बने कठोर प्रेस कानून के तहत किसी भी पत्र को प्रकाशित करने से पहले सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य था। इन्हीं परिस्थितियों में कलकत्ता के कोलूटोला मुहल्ले में रहने वाले युगलकिशोर शुक्ल ने 1826 में हिन्दी में एक साप्ताहिक पत्र निकालने की योजना बनाई और सरकार से अनुमति प्राप्त की। 16 फरवरी 1826 को लाइसेंस मिलने के बाद 30 मई 1826 को 'उदन्तमार्तण्ड' का पहला अंक प्रकाशित हुआ। इसके मुखपृष्ठ पर संस्कृत में एक आदर्श-विज्ञप्ति अंकित थी, जो यह संदेश देती थी कि जैसे सूर्य के बिना अंधकार दूर नहीं होता, वैसे ही समाचारों के अभाव में जनता ज्ञान से वंचित रहती है, इसलिए यह पत्र लोकहितार्थ प्रकाशित किया जा रहा है।

'उदन्तमार्तण्ड' हर मंगलवार को निकलता था और इसका उद्देश्य हिन्दी भाषियों को उपयोगी समाचारों

और जन-जागरण से जोड़ना था। परन्तु सरकारी सहायता के न मिलने और पाठकों की अत्यल्प संख्या के कारण यह पत्र अधिक समय तक चल नहीं सका। अन्ततः 4 दिसम्बर 1827 को इसका प्रकाशन बंद करना पड़ा। अपने अंतिम अंक में संपादक ने सूर्यास्त के प्रतीकात्मक उल्लेख के साथ इसकी विदाई लिखी कि आज के बाद यह ‘मार्तण्ड’ हमेशा के लिए अस्त हो रहा है।

हिन्दी पत्रकारिता के प्रारम्भिक दौर में आर्थिक संकट लगातार बाधा बनता रहा। ‘उदन्तमार्तण्ड’ के अंतिम अंक की वे पीड़ाभरी पंक्तियाँ इसी कष्टपूर्ण अनुभव की झलक देती हैं। पंडित युगलकिशोर शुक्ल ने जिस उत्साह से हिन्दी पत्रकारिता की नींव रखी, उससे अधिक दुःख उन्होंने इसके असमय पतन पर महसूस किया। आरम्भ से ही आर्थिक प्रतिकूलता हिन्दी पत्रकारिता की स्थायी समस्या बन गई।

बंगदूत :- हिन्दी के दूसरे महत्वपूर्ण पत्र ‘बंगदूत’ का प्रेरणा-स्रोत राजा राममोहन रॉय थे। यह पत्र कलकत्ता की चार भाषाओं—अंग्रेज़ी, बँगला, फ़ारसी और हिन्दी—में प्रकाशित होता था। इसका पहला अंक 10 मई 1829 को निकला। ‘समाचार दर्पण’ में उसके प्रकाशन की सूचना प्रकाशित हुई, जिसमें ईसाई मिशनरियों की कटु आलोचना की गयी थी। यह पत्र बहुभाषी संवाद का प्रारम्भिक उदाहरण था और नवजागरण के विचारों को व्यापक समाज तक ले जाता था।

प्रजामित्र :- इसके बाद ‘प्रजामित्र’ नामक पत्र का उल्लेख मिलता है, जिसका प्रकाशन 1834 में कलकत्ता से होने की बात कही जाती है। ‘समाचार दर्पण’ में इसके विज्ञापन मिलते हैं, पर इतिहासकारों—विशेषकर डॉ. रामरतन भटनागर—ने इसके वास्तविक प्रकाशन को संदिग्ध माना है। उपलब्ध प्रमाण इसकी निरंतरता और अस्तित्व की स्पष्ट पुष्टि नहीं करते।

मार्तण्ड :- अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी ने ‘मार्तण्ड’ नामक एक अन्य पत्र का उल्लेख किया है जो 11 जून 1846 को कलकत्ता के इंडियनसन प्रेस से पाँच भाषाओं में छपता था। यह पत्र अंग्रेज़ी, हिन्दी, फ़ारसी, बँगला और उर्दू को एक साथ प्रकाशित करता था, जो उस समय के बहुभाषी पत्रकारिता-प्रयोग का एक अद्वितीय उदाहरण था।

जगद्दीपक भास्कर :- इसी प्रकार 1849 में ‘जगद्दीपक भास्कर’ नामक एक बँगला-हिन्दी पत्र भी निकला था, हालांकि इसके प्रकाशक और विवरण अधिक स्पष्ट नहीं हैं।

सामदन्त मार्तण्ड :- युगलकिशोर शुक्ल ने पुनः 1850 में ‘सामदन्त मार्तण्ड’ प्रकाशित कर हिन्दी पत्रकारिता में दूसरा महत्वपूर्ण प्रयास किया। लगभग 23 वर्ष बाद उनका यह प्रयास हिन्दी पत्रों की निरंतरता के लिए सार्थक सिद्ध हुआ।

समाचार सुधावर्षण :- हिन्दी का पहला दैनिक समाचारपत्र ‘समाचार सुधावर्षण’ 1854 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। इसके सम्पादक यामसुन्दर सेन थे, जो बंगाली थे। इस पत्र की प्रतियाँ आज भी राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता और बंगीय साहित्य परिषद् में सुरक्षित हैं। उपलब्ध प्रमाणों से यह स्पष्ट होता है कि यह पत्र 1868 तक चल रहा था।

1857 से पहले हिन्दी के जितने भी समाचारपत्र प्रकाशित हुए, वे सभी कलकत्ता से ही निकले। पं. विष्णुदत्त शुक्ल के शब्दों में यह कलकत्ता की विशिष्ट उपलब्धि है कि जब उत्तर भारत—जहाँ हिन्दी प्रमुख भाषा थी—अभी तक हिन्दी पत्रों की पहल भी नहीं कर पाया था, तब कलकत्ता ने एक नहीं बल्कि

अनेक हिन्दी समाचारपत्रों का प्रकाशन कर हिन्दी पत्रकारिता की सशक्त नींव रख दी।

निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि आरम्भिक हिन्दी पत्रकारिता लगातार आर्थिक संकट और ब्रिटिश दमन से जूझती रही, फिर भी राजा राममोहन राय के ‘बंगदूत’ से शुरू होकर ‘प्रजामित्र’, ‘मार्तण्ड’ और ‘जगदीपक भास्कर’ जैसे प्रयासों ने इसकी नींव मजबूत की। पं. युगलकिशोर शुक्ल के ‘सामदन्त मार्तण्ड’ और 1854 के प्रथम दैनिक ‘समाचार सुधावर्षण’ ने हिन्दी पत्रकारिता को स्थिर दिशा दी। उत्तर भारत में हिन्दी पत्र न होने पर भी कलकत्ता इस काल का प्रमुख केन्द्र बनकर हिन्दी पत्रकारिता के विकास का आधार बना।

४४४४

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. घोष, हेमेन्द्रप्रसाद, द न्यूज़पेपर इन इंडिया, कलकत्ता यूनिवर्सिटी प्रेस, कोलकाता, 1952
2. ओझा, चंकटलाल, भारत में अंग्रेज पत्रकारिता का इतिहास, नयी धारा, इलाहाबाद, 1953
3. गुप्त, बी.एल., भारत में प्रेस का इतिहास, तारिका प्रकाशन, दिल्ली, 1972
4. डॉ. यशपाल, भारतीय प्रेस और स्वतंत्रता संघर्ष, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली, 1998
5. मजुमदार, आर.सी., हिस्ट्री ऑफ़ दी फ्रीडम मूवमेंट इन इण्डिया, भाग-1, एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता, 1962
6. बकिंघम, जेम्स सिल्क, कलकत्ता, जर्नल पेपर्स, संपादक- ई. डेनिसन रॉस, लंदन, 1928
7. वाजपेयी, अम्बिकाप्रसाद, हिन्दी समाचारपत्रों का इतिहास, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 1961
8. दीक्षित, रामनाथ, भारतीय पत्रकारिता का प्राचीन एवं आधुनिक इतिहास, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1984
9. गुप्त, बी.एल., भारत में प्रेस का इतिहास, तारिका प्रकाशन, दिल्ली, 1972.
10. मजुमदार, आर.सी., हिस्ट्री एण्ड कल्चर ऑफ़ बंगाल, वॉल्यूम-II, यूनिवर्सिटी ऑफ़ कलकत्ता, 1963
11. ओ ‘माल्ली, एल.एस.एस., बंगाल डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, कलकत्ता सीरमपुर सेक्शन, गवर्नमेंट प्रेस, कलकत्ता, 1911
12. नंदा, बी.आर., राजा राममोहन राय: आधुनिक भारत के निर्माता, पेंगुइन बुक्स, नई दिल्ली, 2004
13. मजुमदार, आर.सी., ब्रिटिश इण्डिया : मार्डन एडुकेशन, भारती भवन, पटना, 1979
14. गांगुली, डी.के., दी रीनेसांस इन बंगाल, कलकत्ता यूनिवर्सिटी प्रेस, कोलकाता, 1955
15. बिस्वास, एस.सी., भारतीय नवजागरण और आधुनिक चेतना, विश्वभारती प्रकाशन, कोलकाता, 2008
16. शर्मा, टी.आर., राजा राममोहन राय और भारतीय समाज-सुधार, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1999